

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1613

दिनांक 26/11/2021

प्रार्थीगण :-

- 1.जगमालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमसिंह की ढाणी,देदूसर
- 2.रचना पुत्री रतनलाल, जाति जैन निवासी चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1.डूंगरसिंह पुत्र राणसिंह 2.मदनसिंह
- 3.अर्जुनसिंह पि.जगमालसिंह 4.कंवरबाई पत्नि जगमालसिंह 5.हीरसिंह पुत्र इज्जतसिंह जातियान राजपूत, 6.जाझाराम पुत्र धेनाराम जाति मेघवाल, निवासी प्रेमसिंह की ढाणी,देदूसर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
- 7.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 32/2021

दिनांक : 26.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 535/377 रकबा 32.04 बीघा, खसरा सं. 810/377 रकबा 18.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना मे पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1614 to 1617
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जगमालसिंह वगैरा
3. विप्रार्थीगण डूंगरसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक

26/11/2021



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन